

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 20 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयंता, संचाई खण्ड, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभयंता, संचाई खण्ड, हरिद्वार के माह अगस्त 2015 से मई 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनोज कुमार नेगी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अंकित पाण्डे, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05-06-2017 से 17-06-2017 तक श्री वी. एस. पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा सर्व श्री भीम सेन सिंह एवं अनिल कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14-08-2015 से 22-08-2015 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह मई 2013 से जुलाई 2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में अगस्त 2015 से मई 2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

क्रयाकलाप:-

FMP, अर्ध कुम्भ-2016, दैवीय आपदा, एवं जिला योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-

वकास खंड खानपुर, लक्सर एवं बहादुराबाद।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

लाख में


वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	213.66	213.66	43282000	43282000	--	--
2015-16	--	--	275.23	275.23	43461987	43461987	--	--
2016-17	--	--	100.00	70.00	41928000	41928000	--	--
2017-18 (माह अप्रैल 2017 तक)	--	--	0.00	0.00	17100000	3256855	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

(रू० लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अधिक्क (+)	बचत (-)
2014-15	1. जी० एफ० सी० सी० (एफ० एम० पी०) मद के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाएँ।	8047.78	2081.45	2081.45	--	--
	2. सी० एस० एस० आर० पुनर्निर्माण मद के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाएँ।	2130.64	812.29	812.29	--	--
	3. ए० आई० बी० पी० मद	458.23	--	--	--	--
2015-16	1. जी० एफ० सी० सी० (एफ० एम० पी०) मद के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाएँ।	5962.51	5962.51	4851.02		1097.74
	2. सी० एस० एस० आर० पुनर्निर्माण मद के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाएँ।	1318.35	215.00	405.90		190.90
	3. ए० आई० बी० पी० मद	458.23	62.34	189.32		126.98
2016-17	1. जी० एफ० सी० सी० (एफ० एम० पी०) मद के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाएँ।	1111.49	--	--	--	--
	2. सी० एस० एस० आर० पुनर्निर्माण मद के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाएँ।	1103.35	191.10	191.10	--	--
	3. ए० आई० बी० पी० मद	385.98	--	--	--	--
2017-18	1. जी० एफ० सी० सी० (एफ० एम० पी०) मद के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाएँ।	1111.49	--	--	--	--
	2. सी० एस० एस० आर० पुनर्निर्माण मद के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाएँ।	912.25	--	--	--	--
	3. ए० आई० बी० पी० मद	395.89	--	--	--	--
	4. नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत निर्माणाधीन योजना	2365.39	0.10	0.10	--	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सैक्टर, केंद्र सैक्टर के अंतर्गत क्या जाता है।
वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:



लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधशासी अभ्यंता, संचाई खण्ड, हरिद्वार के माह अगस्त 2015 से मई 2017 तक के अभलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभ्यंता, संचाई खण्ड, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं अक्टूबर 2015 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया। जनपद हरिद्वार के बहादुराबाद विकास खंड में सराय बाई पास रोड एवं माइनर योजना का वस्तुतः वश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिकार कए गए व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभ्यंता द्वारा खंड का वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवध में कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2016 तथा 09/2016 तक की गई।

5. फार्म 51: माह अप्रैल 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:-

भाग प्रथम ` NIL

भाग द्वितीय ` 13142077

6. खण्ड के उच्चत लेखों के अवशेष माह अप्रैल 2017 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण अग्रम	` 498235
(ख)	सामग्री क्रय	` --
(ग)	नगद परिशोधन	` --
(घ)	निक्षेप	` 92969155.00
(ङ)	भण्डार	` 1384491.00

भाग-2 ब

प्रस्तर-1: रू0 74.36 लाख का व्यया धक्य।

अ धशासी अ भयंता संचाई खंड, हरिद्वार की निक्षेप से संबन्धित अ भलेखों की जांच (जून 2017) में पाया गया क वर्ष 2017-18 की निक्षेप पंजिका के भाग-3 में निम्न ववरणानुसार व भन्न वभागों से प्राप्त रा शयों से रू0 7436112.00 की धनरा श का अ धक व्यय कया गया था।

(धनरा श रू0 में)

क्रम संख्या	लेन-देन का माह	ववरण	व्यया धक्य
1-	04/13	जिला योजना	(-) 721224.00
2-	04/13	एच0 डी0 ए0 हरिद्वार	(-) 3387813.00
3-	04/13	उद्योग वभाग रुडकी	(-) 2246963.00
4-	04/13	उत्तर प्रदेश सेतु निगम	(-) 24325.00
5-	04/13	अन्य वभागों के कार्य	(-) 1014117
6-	02/14	मनरेगा	(-) 41670.00
कुल योग			(-)7436112.00

उपरोक्त के संदर्भ में इस ओर इंगत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया क ऋणात्मक अवशेष काफी पुराने समय से चल रहे हैं जिसकी छानबीन की जा रही है, जांचोपरांत समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा द्वारा व्यया धक्य कए जाने से पूर्व ग्राहक वभागों से धनरा शयों की मांग कए जाने एवं व्यया धक्य की गयी रू0 7436112.00 की धनरा श का वहन कन मर्दों से कए जाने के संबंध मे पूछे जाने पर खंड द्वारा कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

अतः रू0 74.36 लाख के व्यया धक्य का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1: धन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर बिना कार्यों का निष्पादन कया जाना तथा संबन्धित कार्यों के लेखाओं का 7 वर्ष पश्चात भी अंतिमीकरण न कया जाना।

अधशासी अभयंता संचाई खंड, हरिद्वार के अभलेखों की जाँच में देखा गया क महाकुंभ मेला 2010 हेतु खंड द्वारा तात्कालक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृति की प्रत्याशा में संलग्नानुसार 21 कार्य करवाए गए थे। इन कार्यों हेतु धनराश मेला अधिकारी कार्यालय से निक्षेप मद के अंतर्गत प्राप्त हुई थी।

अभलेखों की छान-बीन में देखा गया क इन कार्यों के सापेक्ष वर्ष 2015-16 तक व्यय शून्य तथा 2016-17 में ` 109.55 लाख के सापेक्ष ` 73.75 लाख का व्यय दर्शाया गया था। इनसे संबन्धित समस्त अभलेख जैसे अनुबंध, अनुबंध के सापेक्ष व्यय, कार्य पूर्ण होने की तिथि आदि व्यय की पुष्टि हेतु संप्रेक्षा में जाँच हेतु मांगे गए थे। प्रकरण लेखापरीक्षा में उठाए जाने पर खंड ने बताया क अभलेख बाद में उपलब्ध करा दिये जाएँगे।

बिना धनराश उपलब्धता सुनिश्चित कर निर्माण कार्यों पर व्यय कया जाना जहां एक ओर अनियमित था वहीं महाकुंभ मेला 2010 की समाप्ति के लगभग 7 वर्ष पश्चात भी व्यय का ववरण उपलब्ध न होना और लेखे बंद न कया जाना भी अनुचित था।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

क्रम संख्या	विवरण	आगणन की लागत	वास्तविक व्यय	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि
1.	वी0आई0पी0 घाट के समीप विवेकानन्द पार्क में स्थित शिवजी की मूर्ति पर सैण्ड ब्लास्टिंग कर एल्युमिनाइजिंग के प्छात कापर कलर फिनिशिंग एवं पार्क में पुताई का कार्य।	9.16	8.60	8.60
2.	कॉवड़ सेवा मार्ग की रतमऊ पुल से मंगलौर तक (किमी0 19.300 से 39.300तक) सड़क पैच मरम्मत का कार्य।	9.96	9.09	9.09
3.	कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मन्दिर के घाटों का जीर्णोद्धार कार्य।	9.98	9.54	9.54
4.	कनखल स्थित शमशान घाट के डाउन स्ट्रीम में घाटों का जीर्णोद्धार कार्य।	8.52	8.14	8.14
5.	वेद निकेतन धाम के डाउन स्ट्रीम में घाट के प्लेटफार्म का विस्तार कार्य।	9.98	9.18	9.18
6.	विभिन्न सेतुओं एवं घाटों में चेन लगाने का कार्य।	9.59	7.38	7.38
7.	Estimate for repair work at Har Ki Pauri area.	7.11	5.94	5.94
8.	Estimate for construction of railing at Hill Bypass for media in distt. Haridwar	1.65	1.51	1.51
9.	Estimate for R.B.M./Earth filling and leveling dressing in “ Horse Police campus” at Bairagi Camp.	3.04	2.57	2.57
10.	केशव आश्रम से चण्डी पुल तक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की ओर निर्मित बन्धे की पिचिंग पर समोसम पेंटिंग का कार्य।	1.39	1.14	1.14
11.	वी0आई0पी0 घाट के समीप विवेकानन्द पार्क स्थित शिवजी की मूर्तिमक के पीछे बनाई गयी पहाड़ी पर एल्युमिनाइजिंग के प्छात ग्रे पेंटिंग फिनिशिंग का कार्य।	2.34	2.03	2.03
12.	Estimate for construction of Shed at Kushavart Ghat in distt. Haridwar.	3.54	3.46	3.46
13.	Construction of river side sector road joining lane 2-7 in Bairagi camp and outer sector road in Satidweep area.	6.30	5.04	5.04
14.	पन्तद्वीप सेक्टर क्षेत्र में सर्वानन्द घाट के सामने नये निर्मित घाट की ओर एन0एच0.58 से 3 रैम्पस का निर्माण एवं सेक्टर क्षेत्र की लेवलिंग, ड्रेसिंग तथा अस्थाई सेक्टर मार्गों का निर्माण कार्य।	7.98	7.47	7.47
15.	बैरागी कैम्प सतीद्वीप में अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र के लेवलिंग एवं ड्रेसिंग का कार्य।	9.43	8.28	8.28

16.	गंगा नदी एवं नहर पर स्थित विभिन्न घाटों पर फलैक्सी महिला चेंज रूम लगाने का कार्य।	4.44	3.57	3.57
17.	सर्वानन्द घाट के सामने नवनिर्मित घाट पर एम0एस0 चैन लगाने एवं फलैक्सी महिला चेंज रूम लगाने का कार्य।	1.75	1.70	1.70
18.	Construction of steel stair case U/S of Kangra bridge towards Guru Golvarkar Ghat and repair of steps.	3.59	3.02	3.02
19.	साधुबेला अपार्टमेन्ट के डाउनस्ट्रीम में निर्मित घाटों पर गंगा नदी की जल धारा पहुंचाने का प्राक्कलन।	4.80	4.62	4.62
20.	सतीद्वीप एवं बैरागी कैम्प में डब्ल्यू0 बी0एम0 सड़क का निर्माण।	4.97	4.48	4.48
21.	नया द्वीप सेक्टर में डब्ल्यू0 बी0एम0 सड़क का निर्माण।	3.30	2.79	2.79
योग		122.82	109.55	109.55

STAN

प्रस्तर 2: 10.04 लाख की धनरा शयों का समायोजन न कया जाना।

अ धशासी अ भयंता संचाई खंड, हरिद्वार के अ भलेखों की जाँच (जून 2017) में देखा गया क निम्न ववरण के अनुसार Income Tax, Sales Tax और Labor cess मद में रु.10.04 लाख की ऋणात्मक धनरा शयाँ पड़ी हुई थीं जिनका समायोजन लेखापरीक्षा ति थ (जून 2017) तक नहीं कया गया था।

Year	Income Tax	Sales Tax	Labor cess
2015-16	(-) 723905	(-) 17315	(-) 263367
2016-17	(-) 723905	(-) 17315	(-) 263367

उपरोक्त के संदर्भ में पूछे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क समायोजन हेतु पत्राचार कया जा रहा है।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं था क्योँ क यह धनरा शयाँ वर्ष 2015-16 से चली आ रहीं थीं जिनका समायोजन नहीं कया गया था।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	भाग-2 अ	भाग-2 ब
1.	25/2008-09	1,2	--
2.	51/2010-11	1	--
3.	50/2015-16	1,2	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा पेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयंता, संचाई खण्ड, हरिद्वार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) माप पुस्तिका संख्या 181, 319, 268, 394, 287, 296, 573, 306, 313, 316 एवं 318

2. सतत् अनिय मतताएं:

(i) शून्य

3. वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं० नाम

पदनाम

(i) श्री एस० कछवाह

अधशासी अभयंता

(ii) श्री कमल सिंह

अधशासी अभयंता

(iii) श्री डी० के० सिंह

अधशासी अभयंता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबंध रहे।

(i) श्री बी० डी० जोशी

(ii) ए० एस० चौहान

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयंता, संचाई खण्ड, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून- 248006 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र-2